रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2644] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938
No. 2644] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

आय-कर

का.आ. 3399(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनयम,1961 (1961 का 43) की धारा 32, धारा 115, खक और धारा 295 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उनत्तीसवां संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, -

(क) नियम 5 में, उपनियम (1) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2016 से निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु किसी देशी कंपनी, जिसने धारा 115खक की उपधारा (4) के अधीन विकल्प दिया है, की दशा में, किसी आस्ति समूह के अवक्षयण के संबंध में धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन चालीस प्रतिशत से अधिक अधिकृत भत्ता ऐसे आस्ति समूह के अवलिखित मूल्य पर चालीस प्रतिशत सीमित किया जाएगा ।"

(ख) नए परिशिष्ट में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी "'50', '60', '80', '100' अंकों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, अंक "40 " रखा जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 103/2016/फा.सं.370142/29/2016-टीपीएल]

पितांबर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और आय-कर (अट्ठाईसवां संशोधन) नियम, 2016, अधिसूचना संख्यांक **सा.का.नि. 982(अ)** तारीख 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।